



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 18, 2017/आश्विन 26, 1939

No. 269]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 18, 2017/ASVINA 26, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 14 अक्टूबर, 2017

फा. सं. आरटी-25028/01/2016-आर एस.—सड़क सुरक्षा और सड़क परिवहन क्षेत्र में बेहतर प्रणालियों की जांच करने और कार्यान्वयन के लिए कार्रवाई करने योग्य बिंदुओं का सुझाव देने के लिए एतद्वारा राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के परिवहन मंत्रियों के एक समूह का गठन किया जाता है। इस समूह के अध्यक्ष श्री युनुस खान, माननीय मंत्री, लोक निर्माण विभाग और परिवहन, राजस्थान सरकार होंगे। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के माननीय परिवहन मंत्री इस समूह के सदस्य होंगे।

2. मंत्री समूह की सहायता करने के लिए अध्यक्ष, मंत्री समूह विषय-विशेषज्ञों को सहयोजित कर सकेंगे। मंत्री समूह सभी संबंधित विषयों पर सड़क परिवहन क्षेत्र में सभी हितधारियों के साथ विचार-विमर्श भी कर सकेगा।

3. संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री समूह की सहायता करेंगे। संबंधित राज्यों के प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन विभाग अथवा परिवहन आयुक्त भी मंत्री समूह की सहायता करेंगे।

4. मंत्री समूह के **विचारार्थ विषय** इस प्रकार होंगे:

- (i) राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा परिषद् को सौंपे गए कार्यों के कार्य-निष्पादन में इसकी सहायता करना;
- (ii) माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन को निम्नलिखित पर परामर्श देना:
- (क) वर्ष 2020 तक घातकताओं और सड़क दुर्घटनाओं को 50% तक कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा कोड को तैयार करना;
- (ख) विभिन्न राज्यों में मोटर वाहन करों का सुसंगतिकरण;
- (ग) ड्राइविंग लाइसेंसों के मूल्यांकन के लिए प्रौद्योगिकी को सम्मिलित करने के लिए कार्यनीतियां;

- (घ) व्यक्तिगत वाहनों के अंतर-राज्य हस्तांतरण, ड्राइविंग लाइसेंसों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) का सरलीकरण;
- (ङ) राज्य सड़क परिवहन उपक्रमों के सुदृढीकरण के लिए नीतिगत परिवर्तन और कार्यान्वयन कार्य-नीतियां;
- (च) ग्राहक अनुभव को संवर्धित करने और व्यक्तिगत परिवहन से सार्वजनिक परिवहन में स्थानांतरण को समर्थ बनाने के लिए राज्यों में सार्वजनिक परिवहन और शेयर्ड मोबिलिटी सर्विसेज को सुधारना;
- (छ) अंतर-राज्य यात्री और माल परिवहन को सुधारने, सभी राज्यों में परमिट शर्तों और परमिट फीस के सुसंगतिकरण के लिए कार्यनीतियां;
- (ज) पर्यावरण अनुकूल परिवहन प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिए कार्यनीतियां;
- (झ) सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सहायता के लिए अवसंरचना को सुदृढ करना;
- (ञ) सड़क सुरक्षा समर्थन कार्यक्रमों के लिए कार्यनीतियां;
- (ट) कोई भी अन्य विषय जो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मंत्री समूह से जांच करने और विचार करने के लिए अनुरोध करे।
5. समूह की बैठक ऐसी बारंबारता पर होगी जैसा यह निर्णय करेगा। अध्यक्ष, अखिल भारतीय स्तर पर अथवा क्षेत्रीय आधार पर जैसा भी वे उचित समझें, परामर्श आयोजित करेंगे।
6. मंत्री समूह संस्तुतियों का पहला सेट माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय को 31 दिसंबर, 2017 तक सौंप देंगे।

इसे माननीय केंद्रीय मंत्री, सड़क परिवहन, राजमार्ग और पोत परिवहन के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अभय दामले, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS NOTIFICATION

New Delhi, the 14th October, 2017

F. No. RT-25028/01/2016-RS.—A Group of Transport Ministers (GoM) of the States and Union Territories is hereby constituted to examine the best practices in Road Safety and Road Transport sector and to suggest actionable points for implementation. The Group will be headed by Shri Yoonus Khan, Hon'ble Minister for Public Works Department and Transport, Government of Rajasthan. The Hon'ble Minister of Transport of all the States / UTs will be member of the Group.

2. The Chairman, Group of Ministers, may co-opt subject experts to assist the GoM. The GoM may also hold discussion with the stakeholders in the road transport sector on all relevant issues.
3. Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport & Highways will assist the GoM. The GoM will also be assisted by the Principal Secretary / Secretary, Department of Transport or Transport Commissioner of respective States.
4. The **terms of reference** of the Group of Ministers shall be as under:
 - (i) To assist the National Road Safety Council in performance of the functions assigned to it;
 - (ii) To advise the Hon'ble Union Minister for Road Transport, Highways and Shipping on:
 - a) Frame a National Road Safety Code with the objective to reduce fatalities and road accidents by 50% by 2020;

- b) Harmonisation of motor vehicles taxes across different states;
 - c) Strategies for incorporating technology for assessment for driving licenses;
 - d) Facilitation of inter-state transfer of personal vehicles, NOC for driving licenses;
 - e) Policy changes and implementation strategies for strengthening the State Road Transport Undertakings;
 - f) Improving public transport and shared mobility services in the States to enhance customer experience and to enabling shift from personal transport to public transport;
 - g) Strategies for improving the inter – state passenger and goods transport, harmonisation of permit conditions and permit fees across the states;
 - h) Strategies for promoting environment friendly transport systems;
 - i) Improving road accident victims' assistance infrastructure;
 - j) Strategies for road safety advocacy programmes;
 - k) Any other matter that the Ministry of Road Transport & Highways may request the GoM to examine and consider.
5. The Group should meet at such frequency as it may decide. The Chairman may hold consultations on All India basis or on regional basis, as he may deem fit.
 6. The GoM will submit its first set of recommendations to the Hon'ble Union Minister for Road Transport, Highways by 31.12.2017.

This issues with the approval of Hon'ble Union Minister for Road Transport, Highways and Shipping.

ABHAY DAMLE, Jt. Secy.